(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गणेश बनाम शंकर वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र बाजदायरी वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत्

प्रकरण संख्या 09 सन् 2025

2025/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.01.25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की उक्त उनवानी प्रकरण में संशोधन वादपत्र जेरकार था। जिसमें अप्रार्थी संख्या 04 घीसी पत्नि चतुर्भुज जाट ने बिना विधिवत् तकासमा कराये क्रय किया है तथा भूमि को खुर्द बुर्द व मौके पर विवाद करने पर आमादा है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी जाकर प्रतिपक्षीगण को पाबंद किया जाता है की वे भूमि आराजी ख0न0 75, 89, 134, 140 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार बगडवा का रहन, दान, बेचान नही करे। किसी प्रकार से अन्तरण व खुर्द बुर्द नही करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर ~~दिनांक [illegible]~~ दिनांक 05.03.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	
05/03/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। अधिवक्ता श्री कैलाश चोधरी ने प्रतिपक्षी की ओर उपस्थिती दी। अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने प्रा पत्र जवाब प्रस्तुत न कर, सीधे बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने NO objection करते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति जाहिर की। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।	No objection

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)